न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

रण सं.–82/2016

उनवान

लेखराम बनाम रामनिवास वगै0

लेखराम उम्र 60 वर्ष पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू (हाल तहसील मंडावा)।

–प्रार्थी/आवेदक

बनाम

1. रामनिवास पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी चन्द्रपुरा तहसील व जिला झुन्झुनूं। (हाल तहसील मंडावा)।
2. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा नूआं जरिये शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक नूआ जिला झुन्झुनू।
3. लैंड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू जिला झुन्झुनू। (हाल तहसील मंडावा)

–अप्रार्थीगण/अनावेदकगण

उपस्थित अभिभाषक गण :–

1. श्री अमरपाल भीमसरिया – आवेदक की ओर से।
2. श्री रामचन्द्र वर्मा, श्रीमती किरण बियाला – अनावेदक संख्या 1 की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक :- 20-06-2022

आवेदन पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जवाहरपुरा तहसील झुन्झुनूं में कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 152 रकबा 0.47 हैक्टर व खसरा नम्बर 153 रकबा 0.63 हैक्टर स्थित है। खसरा नम्बर 152 का खातेदार काश्तकार अनावेदक नं. 1 है तथा खसरा नम्बर 153 का खातेदार काश्तकार आवेदक है। आवेदक लेखराम व अनावेदक नं. 1 रामनिवास आपस में सगे भाई है तथा ग्राम चन्द्रपुरा के स्थाई निवासी है। ग्राम चन्द्रपुरा व जवाहरपुरा की सीमा सटकर लगती है। प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित कृषि भूमि आवेदक लेखराम व अनावेदक नं. 1 की पैत्रिक भूमि है जो अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। आवेदक लेखराम व अनावेदक नं. 1 रामनिवास के मध्य पूर्व में बंटवारा हो चूका है जो आपसी सहमति के आधार पर आवेदक के हिस्से में खसरा नम्बर 153 रकबा 0.63 हैक्टर व अनावेदक नं. 1 के हिस्से में खसरा नम्बर 150 रकबा 0.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 152 रकबा 0.47 हैक्टर कुल रकबा 0.64 हैक्टर है। उस समय भी दोनों भाईयों आवेदक व अनावेदक नं. 1 के

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

प मौखिक सहमति हुई थी कि आवेदक अपने खेत खसरा नम्बर 153 में आने जाने का
स्ता खसरा नम्बर 152 की पूर्वी दिशा की ओर से सीमा के सटकर होते हुए आने जाने व
ाद बीज बुआई जोत व अनाज लाने ले जाने हेतु ऊंट गाडी व ट्रेक्टर ट्रोली हेतु रास्ता
गा उसी सहमति के आधार से आवेदक अभी तक खसरा नम्बर 152 की पूर्वी सीमा के
टकर होते हुए आने जोन व ट्रेक्टर व ऊंट गाडी अनाज व अन्य कृषि कार्य हेतु लाने व ले
ने हेतु उक्त रास्ते का ही उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अनावेदक नं. 1 के खेत
षि भूमि खसरा नम्बर 152 व 150 के मध्य से होकर जाने वाला रास्ता ग्राम चन्द्रपुरा से
वाहरपुरा आने जाने का आम रास्ता है। आवेदक उक्त आम रास्ते से होकर अनावेदक नं. 1
मनिवास के खेत खसरा नम्बर 152 की पूर्वी सीमा के नजदीक से होकर अपने खेत खसरा
म्बर 153 में आता जाता है तथा वर्तमान में भी उक्त खसरा नम्बर 152 में आने जाने का
रस्ता के चिन्ह मौजूद है। आवेदक का जीविका पार्जन का एकमात्र साधन कृषि है। कृषि से
त्पन्न अनाज वगैरह को बेचकर ही अपना व अपने परिवार का लालन पालन करता आ रहा
अगर उक्त रास्ते में रूकावट पैदा हो जाती है तो आवेदक अपनी कृषि भूमि की जुताई
आई नहीं कर सकेगा जिससे आवेदक स्वयं व उसके परिवार के सामने गंभीर संकट व
रिस्थितियां पैदा हो सकती है। आवेदक लेखराम के खेत कृषि भूमि खसरा नम्बर 153 में
कमात्र रास्ता खसरा नम्बर 152 में से होकर ही जाने का वैकल्पिक रास्ता है। आवेदक की
षि भूमि खसरा नम्बर 153 के उत्तर दिशा से सटकर ही अनावेदक नं. 1 की कृषि भूमि
ख़सरा नम्बर 152 स्थित है। इसी खसरा नम्बर 152 की उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम आने
ाने का आम रास्ता है जिसका नक्शे में साफ साफ अंकन है। आवेदक की कृषि भूमि में
उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है और न है। आवेदक लेखराम,
अनावेदक नं. 1 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 152 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे होकर 12
फीट चौडाई व लगभग 250 फीट लम्बाई के रास्ते से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 153 में
ता जाता रहा है। पूर्व में कभी अनावेदक नं. 1 ने आवेदक को उक्त रास्ते का उपयोग व
उपभोग करने से मना नहीं किया परन्तु दिनांक 12.09.2016 को आवेदक अपनी कृषि भूमि से
अनाज वगैरह निकाल कर अपने घर ला रहा था तब अचानक अनावेदक नं. 1 द्वारा उक्त
रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना करने पर वाद कारण पैदा हुआ है। उक्त बाबत
आवेदक अनावेदक नं. 1 को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया पर अनावेदक नं. 1 साफ
इन्कार कर देने पर आवेदक को यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के यहा प्रस्तुत करना आवश्यक हो
जाने से प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी आवेदक की भूमि
खसरा नम्बर 153 में आवागमन व कृषि प्रयोजनार्थ हेतु अनावेदक नं. 1 की कृषि भूमि खसरा
नम्बर 152 में से पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाया जावे तथा राजस्व
रिकार्ड में तरमीम नक्शे में करने हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को आदेश फरमाया जावे।

विवेचन

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अनावेदकसंख्या 1 द्वारा जरिये वकील जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जबाव के अनुसार आवेदक के खेत में जाने का वैकल्पि रास्त दक्षिण दिशा में ढिगाल मंडावा जाने वाली सडक के पास से मौजूद है तो ऐसी सूरत में अनावेदक की भूमि खसरा नम्बर 152 में से रास्ता दिये जाने से अनावेदक के अधिकारों पर विपरित असर पडेगा तथा अनावेदक संख्या 1 के साथ अन्याय होगा, आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार झुन्झुनू से प्राप्त अद्वतन मौका रिपोर्ट दिनांक 11.02.2022 के अनुसार मुताबिक रिकार्ड खसरा नम्बर 152 रकबा 0.47 है0 रामनिवास

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

। रामकुमार जाति जाट के नाम दर्ज है एवं खसरा नम्बर 153 रकबा 0.63 है0 लेखराम पुत्र कुमार जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 152 व 153 दोनों मौके पर खाली खसरा नम्बर 152 की उत्तरी सीमा के साथ गै0मु0 रास्ता गुजरता है जो चन्द्रपुरा गांव से डता है, जिसका खसरा नम्बर 148 एवं 151 है। खसरा नम्बर 152, 153, 154 में मौके पर ई रास्ता नहीं गुजरता है, तीनों खसरा नम्बरो के मध्य से एक पगडंडी गुजरती है। खसरा बर 153 में पहुंचने हेतु 152 की पूर्वी सीमा के साथ साथ रास्ता चाहा गया है, जिसकी बाई 48 मीटर है एवं खसरा नम्बर 154 से होकर 90 मीटर बनती है। निकटतम दूरी के नुसार खसरा नम्बर 152 में से रास्ता दिया जाना बताते हुए अपनी रिपोर्ट पेश की है। त्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनू का अवलोकन किया ाकर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस वकील पक्षकारान अनुसार आवेदक की ग्राम जवाहरपुरा पटवार मंडल भारू के खसरा नम्बर 104 रकबा 0.700 है0, खसरा नम्बर 105 रकबा 1.6900 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.6300 है0 भूमि वस्थित है तथा खसरा नम्बर 101, 102, 103, 150, 152 कुल किता 5 कुल रकबा 2.4000 0 भूमि अनावेदक संख्या 1 रामनिवास पुत्र रामकुमार के नाम दर्ज रिकार्ड है। आवदेक को ोत तक पहुंचने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता पलब्ध नहीं है। अतः उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रस्तावित भूमि की वर्तमान प्रचलित एलसी दर की दोगुनी राशि के भुगतान की शर्त पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्तर्गत धारा 251–क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

निर्णय

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251– क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने का निर्णय लिया जाता है। मौका रिपोर्ट तहसीलदार के संलग्न नजरी नक्शे में अंकितानुसार ग्राम जवाहरपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 153 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 152 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 48 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। उक्त रास्ता बाबत रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की दोगुनी कीमत (वर्तमान प्रचलित डीएलसी दर के अनुसार) आवेदक द्वारा अनावेदक संख्या 1 को भुगतान की जावेगी। उक्त रास्ता बाबत भूमि अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी से कम की जाकर उक्तानुसार लगान भी हजफ किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मंडावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-06-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)